

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 50/2023

दर्ज दिनांक 02.06.2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2023/191

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कन्हैया पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमूनियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नेनूदेवी पत्नि गिरधारी गुर्जर निवासी केमूनियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. हरिश चन्द्र टेलर – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक:-23/4/2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 12.06.2024 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम केमूनियां पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की सीमा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 528 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 529 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 530 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा कुआं, आराजी संख्या 535 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 536 रकबा 0.26 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.03 है0 भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 5/6 हिस्से का मौके पर कब्जे का ध्यान में रखकर बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भूअ./2026/370 दिनांक 02.04.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप



अधिवक्ता
(राजस्थान) रायपुर

उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाट सा.देह	ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 252)	528/2 536/2	0.1000 0.0650
		योग	2	0.1650
2	नेनूदेवी पत्नि गिरधारी गुर्जर सा.देह	ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 252)	528/1 529/1 535 536/1	0.1250 0.2450 0.2600 0.1950
		योग	4	0.8250
3	सामलाती बदस्तुर 1. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाट हि० 1/6 सा.देह 2. नेनूदेवी पत्नि गिरधारी गुर्जर हि० 5/6 सा.देह	ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 252)	530 528/3 529/2	0.0200 0.0050 0.0150
		योग	3	0.0400

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

(करुणा लाड़ोती)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 23/11/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(राजजीव) रायपुर



मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 50/2023 दर्ज दिनांक 02.06.2023
 जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2023/191
 अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कन्हैया पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमूनियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नेनूदेवी पत्नि गिरधारी गुर्जर निवासी केमूनियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)


निर्णय दिनांक : 23/4/2026


डिक्री दिनांक : 23/4/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री हरिशचन्द्र टेलर, व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाट सा.देह	ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 252)	528/2 536/2	0.1000 0.0650
		योग	2	0.1650
2	नेनूदेवी पत्नि गिरधारी गुर्जर सा.देह	ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 252)	528/1 529/1 535 536/1	0.1250 0.2450 0.2600 0.1950
		योग	4	0.8250
3	सामलाती बदरतुर 1. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाट हि० 1/6 सा.देह 2. नेनूदेवी पत्नि गिरधारी गुर्जर हि० 5/6 सा.देह	ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 252)	530 528/3 529/2	0.0200 0.0050 0.0150
		योग	3	0.0400





 सहायक कलक्टर
 (राज.जी.एस.) रायपुर

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।


नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/4/26 को जारी किया गया।


 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुकमनामा	—		बाबत् इजराय हुकमनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)